# भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–162/2017–18

| आदेश की तिथि | आदेश | आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ |
|---|---|---|
| 03.10.2018 | अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक–797, दिनांक–12.07.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 16.07.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक **खेत्रोमोहन महतो**, पिता– **मधुसूदन महतो**, जाति– **कुर्मी (अ०पि०वर्ग०)**, ग्राम– **झरझरा**, थाना– **चक्रधरपुर**, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा– **माईलपीढ़**, थाना नं0– **421**, खाता नं० **22**, प्लॉट नं0– **23**, **रकवा– 12 डी0 548 वर्गकड़ी**, क्रेता **मनमोहन महतो**, पिता– **छक्कन लाल महतो**, जाति– **कुर्मी (अ०पि०वर्ग०)**, ग्राम– **चितपिल**, पो0– **झरझरा**, थाना– **चक्रधरपुर**, जिला– **प० सिंहभूम** के पास बिक्री करना चाहते है। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया।<br><br>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक **खेत्रोमोहन महतो**, पिता– **मधुसूदन महतो**, जाति– **कुर्मी (अ०पि०वर्ग०)**, ग्राम– **झरझरा**, थाना– **चक्रधरपुर**, जिला **प० सिंहभूम** के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते है। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।<br><br>बिक्रेता एवं क्रेता थाना– **चक्रधरपुर**, जिला–**प0 सिंहभूम** के निवासी हैं। विक्रेता का जाति **कुर्मी (अ०पि०वर्ग०)**, एवं क्रेता का जाति **कुर्मी (अ०पि०वर्ग०)**, समुदाय के सदस्य है।<br><br>विक्रेता उक्त वर्णित भूमि ईलाज हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात विक्रेता को **चक्रधरपुर** अंचल अंतर्गत **रकवा 3.53.450 ए0** अवशेष भूमि बचता है । अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता **मनमोहन महतो**, पिता-- **छक्कन लाल महतो**, जाति– **कुर्मी (अ०पि०वर्ग०)**, ग्राम– **चितपिल**, पो0– **झरझरा**, थाना– **चक्रधरपुर**, जिला– **प० सिंहभूम** को उक्त भूमि बेचने की **स्वीकृति** छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है।<br><br>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें।<br><br>लेखापित (हस्ताक्षर) 3.10.18<br>भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता<br>पोड़ाहाट, चक्रधरपुर<br><br>(हस्ताक्षर) 3.10.18<br>भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता<br>पोड़ाहाट, चक्रधरपुर | |